उत्तर प्रदेश शासन

राज्य कर अनुभाग-2

संख्या-233/ग्यारह-2-22-9(47)/17-टी.सी.182-उ0प्र0अधि0-1-2017-आदेश-(233)-2022

लखनऊः दिनांकः 31 मार्च, 2022

अधिसूचना

उत्तर प्रदेश माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 1 सन् 2017) की धारा 10 की उप धारा (1) के परन्तुक के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करके राज्यपाल, परिषद की सिफारिशों के आधार पर, एतदद्वारा, अधिसूचना संख्या-क0नि0-2-809/ग्यारह-9(47)/17-उ0प्र0एक्ट-1-2017-आदेश-(37)-2019, दिनांक 28 मई, 2019, में अग्रतर निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात्:-

उक्त अधिसूचना में, सारणी में, क्रमांक 3 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात्, निम्नलिखित क्रम संख्याएं और प्रविष्टियाँ बढ़ा दी जायेंगी, अर्थात्: -

“4.	6815	फ्लाई ऐश की ईंटें या फ्लाई ऐश जिसमे कुल मिलाकर 90 प्रतिशत या इससे अधिक फ्लाई ऐश हो; फ्लाई ऐश ब्लॉक्स
5.	6901 00 10	सिलिकामय जीवाश्मी अवचूर्ण या वैसी ही सिलिकामय मिटटी की ईंटें
6.	6904 10 00	निर्माणी ईंटें
7.	6905 10 00	फर्श की या छत की टाइलें”

2. यह अधिसूचना तारीख 1 अप्रैल, 2022 को प्रवृत्त होगी।

आज्ञा से,

(संजीव मित्तल)
अपर मुख्य सचिव